at the official level for speedy implementation of the recommendations of the HLC. The matter is being pursued with the concerned agencies. The Director General Resettlement has been entrusted with the responsibility of monitoring the implementation of the recommendations of the HLC. The implementation of specific recommendations of the HLC was also discussed at the Kendriya Sainik Board meeting which was held on 10th December, 1986, under the Chairmanship of the Prime Minister and was attended by the Chief Ministers/Ministers concerned with the resettlement of Ex-servicemen. The Prime Minister called upon the State Governments to implement the accepted recommendations of the HLC and to help the Ex-servicemen in resettlement.

(b) The recommendations of the HLC cover a wide variety of subjects like employment, self-employment, pensions, welfare, etc. These are to be implemented jointly by various Ministries at the Centre and State Governments. It is not possible to give an estimate of annual expenditure involved in the implementation of these recommendations.

चतुर्थ वेतन आयोग की पेंशनधारियों संबंधी सिफारिशें

1003. **श्री सूरज प्रसाद :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथे वेतन आयोग ने पेंशनधारियों के लिए अपनी सिफारिश पेश कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस पर विचार कर लिया है और इस संबंध में इसके द्वारा कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि आयोग ने मार्च, 1985 से दिसम्बर, 1985 तक की अवधि में सेव निवृत्त हुए कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं दिया ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बीरेन सिंह इंगती): (क) से (ग) चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है और निर्णय शीघ्र ही घोषित किए जाने की सम्भावना है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों में असमानताएं

1004. **श्री सूरज प्रसाद :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के अनेक मंत्रालयों तथा कार्यालयों में यह पाया गया है कि वरिष्ठ अधिकारियों के मुकाबले कनिष्ठ अधिकारी अधिक वेतन ले रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने इस प्रकार की विसंगतियों को दूर करने के लिए तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बाद अनेक आदेश जारी किए हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अनेक विभागों में कई कर्मचारियों को बकाय धनराशि की अदायगी से बचने हे सरकार के इस प्रकार के आदेशों पर को अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई है ;

(घ) क्या वेतन में असमानताओं के संबंध में लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय को अगस्त, 1985 से दिसम्बर 1985 तक की अवधि के दौरान अनेक विभागों से कुछ पत्र प्राप्त हुए है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बीरेन सिंह इंगती): (क) साधारणतया ऐसा नहीं होता कि कोई वरिष्ठ व्यक्ति अपने कनिष्ठ से कम वेतन प्राप्त करे, क्योंकि नियमित पदोन्नति पर दोनों अधिकारियों का वेतन पद के लिए

निर्धारित एक ही वेतनमान में निर्धारित किया जाता है। तथापि, विशिष्ट परिस्थितियों में जब कभी किसी वरिष्ठ अधिकारी का वेतन उसके कनिष्ठ से कम रह जाता है, तो ऐसी विसंगति को वरिष्ठ व्यक्ति के वेतन को बढ़ाकर दूर किया जा सकता है किन्तु शर्त यह है कि इस संबंध में संगत सरकारी आदेशों में निर्धारित शर्तों की पूर्ति होती हो।

(ख) जी, हां।

(ग) सूचना केन्द्रीय रूप से मानीटर नहीं की जाती।

(घ) जी, हां अगस्त, 1985 से दिसम्बर, 1985 तक की अवधि के दौरान इस आशय के कुछ पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें संवर्ग में वरिष्ठ व्यक्तियों के वेतन को संवर्ग में उनके कनिष्ठ व्यक्तियों के वेतन के संदर्भ में बढ़ाए जाने के बारे में सरकारी आदेशों के लागू किए जाने से लेकर स्पष्टीकरण मांगे गए थे।

(ङ) मंत्रालयों/विभागों को संगत सरकारी आदेशों के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन उन मामलों में वेतन के निर्धारण के लिए सपष्टीकरण दे दिए गए थे।

Fair pension for pensioners

1005. SHRI TALARI MANOHAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether attention of Government has been drawn to the news item that appeared in the 'Times of India' dated 2nd February, 1987 regrading fair pensions for pensioners to offset serious problems faced by them due to high cost of living;

(b) if so, whether Government propose to speed up its decision as the matter has been pending for long; and

(c) whether Government propose to review the high pension of rupees 4500/- for senior staff and rupees 300/- for lower staff, contrary to government's liberal social policies?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI BIREN SINGH ENGTI): (a) to (c) The recommendations of the Fourth Central Pay Commission are under consideration of Government and decisions are expected to be announced shortly. In the meantime Government has decided to raise the minimum pension and minimum family pension to Rs. 375/- p.m. as against Rs. 300/- recommended by the Pay Commission.

1006. [Transfered to the 10th March, 1987.]

Allocation of time for TV programmes

1007. SHRI DEBENDRA NATH BARMAN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) what is the time allotted for regional programme, national programme and Net work programme respectively;

(b) whether there is any proposal under Government consideration to allot more time for regional programmes;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI AJIT PANJA): (a) Time allotted for telecast of national, regional and Network programmes by Doordarshan approximately is as follows:—

(1) National Programme (daily):

2 hours 35 minutes ,Minimum)